

क्र. सं. दि. 23.3.21 को प्रपत्र-  
0-7.R.11 (1) उपस्थित धारा 151 का प्रयोग  
किया. नकल दी गयी. पत्रावली वास्ते  
जबकि प्रपत्र व तलकी दि. 15-4-21  
को पेश हो.

उपखण्ड अधिकारी  
महवा (दौसा)

दिनांक 15-04-2021

आज पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके वकील को बार बार  
आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इससे  
ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है  
तथा वाद को चलाना नहीं चाहता है।

अतः वादी का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज  
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो व बाद तकमील  
दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
महवा (दौसा)